न्यायालय– उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी– प्रियंका कडेला (आर.ए.एस.)

मु0नं0 02/2026 तारीख रजु–12/02/2026 आदेश दिनांक– 28·4·26

1. नंदकिशोर पुत्र स्व. गिरधारी,
2. कांति देवी पत्नी स्व. गिरधारी, दोनों जातियान डाकौत, निवासी बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर। **सायल...**

बनाम

1. महबूब पुत्र नसीर खां, जाति मुसलमान, निवासी बरनाला, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर।
2. प्रेम देवी पत्नी रामदयाल, जाति महाजन,
3. अंकित पुत्र रामदयाल,
4. शैलेन्द्र पुत्र रामदयाल, तीनों निवासी बरनाला, तहसील बरनाला, जिला स.मा., हाल निवासी मण्डावरी आड़द की शोप अनाज मण्डी, मण्डावरी, जिला दौसा।
5. लैण्ड होल्डर, जरिये तहसीलदार, तहसील। **गैरसायलान...**

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्रीमती रचना, अधिवक्ता, सायलान की ओर से।
2. श्री योगेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, गैरसायल संख्या 2 ता 4 की ओर से।
3. गैरसायल संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं।

आदेश दिनांक 28·4·26

1. इस आदेश के माध्यम से सायल नंदकिशोर व अन्य की ओर से विरुद्ध गैरसायलान महबूब व अन्य पेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है।

2. सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि सायलान ग्राम बरनाला के निवासी है, जिनका सजरा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 अनुसार है। मुताबिक जमा[illegible]ण वर्ष 2019 में खाता संख्या 53 की भूमि मुतदाविया सायल संख्या 2 के [illegible] व सायल संख्या 1 के स्व. बाबा गोपाल व वसीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 81 व 116 [illegible] 11 बीघा 8 बिस्वा बराबर–बराबर रही है। भू प्रबंध विभाग ने क्रम संख्या 245 पर खाता संख्या 73 बनाकर खसरा नंबर 157 व 235 रकबा 2.74 हेक्टेयर बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

खातेदार रामरख का 1/2, नजीर, नवाब, इब्राहिम व सत्तर का 1/2 हिस्सा कायम किया गया, जो अवैध व शून्य है, जिसे विलोपित किया जाकर संशोधित किया जाना आवश्यक है। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वादीगण के बाबा एवं ससुर स्व. गोपाल हिस्सा 1/2 था को बिना किसी विक्रय पत्र, दान पत्र, गोद पत्र व रजिस्टर्ड वसीयत के मनमाने तरीके से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से विपरीत जाकर बिना किसी अधिकार के रामरखा के नाम 1/2 दर्ज कर कानूनी भूल की है, जो संशोधन योग्य है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा मनमाने तरीके से की गई गलती को दुरुस्त कराने के लिए सायलान द्वारा दिनांक 22.12.2025 को गैरसायलान व हल्का पटवारी को अवगत कराया तो उन्होंने न्यायालय द्वारा संशोधन कराया जाना बताया, जिस पर प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। सायल के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदू पूर्णतया साबित है। अंत में सायल द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए गैरसायलान के विरुद्ध अनुतोष चाहा गया कि गैरसायलान मामले में वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 157 रकबा 1.50 हेक्टेयर व 435 रकबा 1.15 स्थित ग्राम बरनाला के उपयोग–उपभोग में सायल को बाधा उत्पन्न न करें और मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को तलब किया गया, जिस पर गैरसायलान संख्या 2 ता 4 की ओर से जवाब पेश कर उल्लेख किया गया कि खाता संख्या 53 के खसरा नंबर 81 व 117 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गोपाल पुत्र गेंद्या व नसीर पुत्र मुनीर के नाम व बराबर हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। सायलान द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत जानकारी के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि सायलान के पूर्वज गोपाल के नाम से रामरख के नाम खातेदारी सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत दर्ज, नहीं की गई, बल्कि सायलान के पूर्वज गोपाल पुत्र गेंद्या द्वारा वर्ष 1969 में साबिक खसरा नंबर 181 हाल खसरा नंबर 157 व साबिक नंबर 117 हाल खसरा नंबर 435 स्थित ग्राम बरनाला रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन को बेचान किया गया था, जिसकी पालना में रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन के नाम नामांतरण खोला गया, जिस पर रामरख [illegible] चला आ रहा था। इसके बाद रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन द्वारा दिनांक 14.[illegible].1989 जरिए रजिस्टर्ड वयनामा जवाबदारान–गैरसायलान संख्या 2 के पति [illegible] के पिता रामदयाल पुत्र रामविलास महाजन को विक्रय कर कब्जा [illegible] दिया गया, तब से जवाबदारान के पति/पिता उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा किसी प्रकार का गलत इन्द्राज न कर बेचान की पालना में नियमानुसार रामरख पुत्र भौंरीलाल राजस्व रिकॉर्ड में

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त भूमि का शेष 1/2 हिस्सा नसीर के वारिसान वसीर, नवाब, इब्राहिम व सत्तार के द्वारा दिनांक 13.06.1985 को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा जवाबदारान–गैरसायल संख्या 2 के पति तथा 3 व 4 के पिता रामदयाल पुत्र रामविलास महाजन को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया। इस प्रकार जवाबदारान के पति/पिता उक्त भूमि उक्त संपूर्ण भूमि पर क्रय किए जाने के पश्चात से ही बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सायलान ने दिनांक 22.12.2025 को हल्का पटवारी से मिलने का प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, जबकि सायलान के पूर्वज गोपाल द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि में निहित अपने हिस्से को वर्ष 1969 में ही विक्रय कर चुके हैं। अतः सायल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

4. सायल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता सायल द्वारा भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से सायलान की भूमि को रामरखा के नाम दर्ज कर दी है, जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। इसके विपरीत अधिवक्ता गैरसायलान द्वारा तर्क किया गया कि सायलान के पूर्वज गोपाल के नाम से रामरख के नाम खातेदारी सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत दर्ज नहीं की गई, बल्कि सायलान के पूर्वज गोपाल पुत्र गैंद्या द्वारा वर्ष 1969 में साबिक खसरा नंबर 181 हाल खसरा नंबर 157 व साबिक नंबर 117 हाल खसरा नंबर 435 स्थित ग्राम बरनाला रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन को बेचान किया गया था, जिसके बाद रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन द्वारा दिनांक 14.03.1989 जरिए रजिस्टर्ड बयनामा जवाबदारान–गैरसायल संख्या 2 के पति तथा 3 व 4 के पिता रामदयाल पुत्र रामविलास महाजन को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया, तब से जवाबदारान के पति/पिता उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी उक्त भूमि का शेष 1/2 हिस्सा नसीर के वारिसान वसीर, नवाब, इब्राहिम व सत्तार के द्वारा दिनांक 13.06.1985 को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा जवाबदारान–गैरसायल संख्या 2 के पति [illegible] पिता [illegible] पुत्र रामविलास महाजन को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया। [illegible] कि गया कि प्रकरण में पक्षकार गैरसायल संख्या [illegible] नसीर नामक [illegible] ग्राम बरनाला है, इसलिए पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार [illegible] खारिज किए जाने योग्य है। अतः सायलान की ओर से पेश हस्तगत प्रार्थना [illegible] अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

7. पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार मामले में साबिक खसरा नंबर 81 व 117 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि सायलान के पूर्वज गोपाल के नाम से रामरखा के नाम

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

भू–प्रबंध विभाग की गलती से भूमि दर्ज की गई हो, ऐसा कोई [illegible] के द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है, जबकि पत्रावली में [illegible] की ओर से पेश दस्तावेज फोटोप्रति नकल नामांतरण [illegible] रजिस्टर्ड विकय पत्र 14.03.1989 व फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक [illegible] 06.1985 के अनुसार सायलान के पूर्वज गोपाल पुत्र गैंदया द्वारा [illegible] साबिक खसरा नंबर 181 हाल खसरा नंबर 157 व साबिक नंबर 117 हाल खसरा नंबर 435 स्थित ग्राम बरनाला रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन को बेचान किया गया था, जिसकी पालना में रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन के नाम नामांतरण खोला गया। इसके बाद रामरख पुत्र भौंरीलाल महाजन द्वारा दिनांक 14.03.1989 जरिए रजिस्टर्ड बयनामा जवाबदारान–गैरसायल संख्या 2 के पति तथा 3 व 4 के पिता रामदयाल पुत्र रामविलास महाजन को विक्रय कर कब्जा संभलाया जाना व तब से जवाबदारान के पति/पिता उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे होना दर्शित हैं। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा किसी प्रकार का गलत इन्द्राज न कर बेचान की पालना में नियमानुसार रामरख पुत्र भौंरीलाल राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त भूमि का शेष 1/2 हिस्सा नसीर के वारिसान वसीर, नवाब, इब्राहिम व सत्तार के द्वारा दिनांक 13.06.1985 को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा जवाबदारान–गैरसायल संख्या 2 के पति तथा 3 व 4 के पिता रामदयाल पुत्र रामविलास महाजन द्वारा क्रय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार सायलान प्रथमदृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग से जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल को पाबंद किया जाता है तो उससे गैरसायलान के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है, जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है। अतः सायलान प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

8. इस प्रकार प्रकरण उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सायलान की ओर से पेश हस्तगत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किए [illegible] प्रतीत नहीं अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील [illegible] संलग्न मूल वाद रहे।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:08:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner